



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 13, सोमवार, शाके 1940-मार्च 4, 2019  
Phalguna 13, Monday, Saka 1940-March 4, 2019

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 4, 2019

संख्या प. 4(1)विधि/2/2019:- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2019 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश, 2019**

**(2019 का अध्यादेश संख्यांक 1)**

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 04 मार्च 2019 को बनाया तथा प्रख्यापित किया)

राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अध्यादेश।

यतः, समावेशी आर्थिक वृद्धि और नियोजन सृजन के संवर्धन की दृष्टि से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उद्यमिता का संवर्धन करना राज्य का लक्ष्य है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट को प्रभावी करना समीचीन है;

और यतः, राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां

विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.-** (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश, 2019 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं.-** (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र" से धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदन" से राजस्थान राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रवर्तन के संबंध में किसी राजस्थान विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, अनुज्ञापन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति इत्यादि अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार का कोई विभाग या एजेंसी या कोई स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या किसी राजस्थान विधि द्वारा या उसके अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी, जिसको राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रवर्तन के लिए

अनुमोदन मंजूर या जारी करने के लिए शक्तियां या उत्तरदायित्व न्यस्त किये गये हैं, अभिप्रेत है;

(घ) "जिला सशक्त समिति (जि.स.स.)" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित जिला सशक्त समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "उद्यम" से कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से राजस्थान राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 27), समय-समय पर यथासंशोधित, में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "नोडल एजेंसी" से धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी अभिप्रेत है;

(झ) "अधिसूचना" से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ञ) "विहित" से इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(ठ) "राज्य सशक्त समिति (रा.स.स.)" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति अभिप्रेत है।

**3. नोडल एजेंसी.-** (1) सरकार और राज्य सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, विनिधान

संवर्धन ब्यूरो इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

(2) सरकार और जिला सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला उद्योग केन्द्र इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए जिला स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

**4. नोडल एजेंसियों की शक्तियां और कृत्य.-** (1) सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नोडल एजेंसियों की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य में उद्यमों की स्थापना में सहायता करना और उसे सुकर बनाना; और

(ख) इस अध्यादेश के अधीन प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किये गये अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का अभिलेख संधारित करना।

(2) सरकार, नोडल एजेंसियों को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य समनुदेशित कर सकेगी जैसेकि वह इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ठीक समझे।

**5. घोषणा का फाइल किया जाना.-** (1) कोई व्यक्ति जो कोई उद्यम आरंभ करने का आशय रखता है, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को उद्यम आरंभ करने के आशय की घोषणा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, दे सकेगा।

**स्पष्टीकरण.-** कोई व्यक्ति, जिसने इस अध्यादेश के प्रारंभ से पूर्व, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित समस्त अनुमोदनों या उनमें से किसी अनुमोदन को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है, वह भी इस उप-धारा के अधीन कोई उद्यम आरंभ करने के आशय की घोषणा देने का विकल्प दे सकेगा।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा की प्राप्ति पर, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी उस व्यक्ति को, जिसने उप-धारा (1) के अधीन घोषणा दी है, विहित प्ररूप में, तत्काल अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करेगी।

**6. अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का प्रभाव.-** (1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित अनुमोदन हो और तीन वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, उस उद्यम को ऐसी समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित अपेक्षित अनुमोदन अभिप्राप्त करने होंगे :

परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, किसी व्यक्ति को मास्टर योजना, जहां कहीं भी ऐसी योजना प्रवृत्त है, में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग से भिन्न किसी भूमि उपयोग के लिए हकदार नहीं बनायेगा। यह किसी व्यक्ति को राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 16 में यथाविनिर्दिष्ट निर्बंधित प्रवर्ग अर्थात् चरागाह भूमि, जलराशि आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग करने का भी हकदार नहीं बनायेगा।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के दौरान, कोई भी सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित किसी अनुमोदन के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

**7. छूट.-** जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकारी, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त है वहां सरकार या, यथास्थिति, ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को, धारा 5 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये जाने

की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के लिए, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

**8. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.-** सरकार, नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी अथवा सरकार, नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, इस अध्यादेश या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**9. अध्यादेश का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.-** (1) इस अध्यादेश के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, प्रभावी होंगे।

(2) विशिष्टतया और इस अध्यादेश के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध, निम्नलिखित अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे और इन अधिनियमितियों के उपबंध इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जायेंगे, अर्थात्:-

(क) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3);

(ख) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15);

(ग) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35);

(घ) राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 12);

(ङ) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25);

(च) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13);

(छ) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18);

(ज) जोधुपर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2); और

(झ) अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39)।

**10. व्यावृत्तियां.-** धारा 7 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, इस अध्यादेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी उद्यम को, इस अध्यादेश में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के लागू होने से या किसी विनिमयकारी अध्यादेश और तदधीन विहित मानकों से छूट दी गयी है।

**11. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** (1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अध्यादेश के प्रारंभ से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

**12. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कल्याण सिंह,

राज्यपाल, राजस्थान।

महावीर प्रसाद शर्मा,

प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**

**(GOURP-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, March 4, 2019**

**No. F.4 (1)Vidhi/2/2019:-** In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the



publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Lokayukta Tatha Up-Lokayuta (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 (2019 Ka Adhyadesh Sankhyank 1) promulgated by him on the 4<sup>th</sup> day of March, 2019 :-

**(Authorised English Translation)**  
**THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM**  
**ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT**  
**AND OPERATION) ORDINANCE, 2019**  
**(Ordinance No 1 of 2019)**

Made and promulgated by the Governor on the 4<sup>th</sup> day of  
March, 2019)

An

*Ordinance*

*to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of the micro, small and medium enterprises in Rajasthan and matters connected therewith or incidental thereto.*

*Whereas, with a view to promote inclusive economic growth and employment generation, the State aims to address the specific needs of the micro, small and medium enterprises and promote entrepreneurship, it is expedient to give effect to exemption from certain approvals and inspections required for establishment and operation of micro, small and medium enterprises;*

*And whereas, the Rajasthan Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;*

*Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Seventieth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-*

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

**2. Definitions:** - In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-

(a) "Acknowledgment Certificate" means the acknowledgment certificate issued under section 5;

(b) "approval" means any permission, no-objection, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any Rajasthan Law in connection with the establishment or operation of an enterprise in the State of Rajasthan;

(c) "Competent Authority" means any department or agency of the Government or a local authority, statutory body, State owned corporation, Pachayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities, Urban Improvement Trusts or any other authority or agency constituted or established by or under any Rajasthan Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;

(d) "District Empowered Committee (DEC)" means the District Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011(Act No. / of 2011);

(e) "enterprise" means a micro, small or medium enterprise;

(f) "Government" means the State Government of Rajasthan;

(g) "micro, small or medium enterprise" means the Micro, Small or Medium Enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006), as amended from time to time;

(h) "nodal agency" means the nodal agency referred to in section 3;

(i) "notification" means a notification published in the Rajasthan Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;

(j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Ordinance;

(k) "State" means the State of Rajasthan; and

(l) "State Empowered Committee (SEC)" means the State Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011).

**3. Nodal Agency.-** (1) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the State Empowered Committee, Bureau of Investment Promotion shall be the State level Nodal Agency for the purpose of this Ordinance.

(2) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the District Empowered Committee, District Industries Centre shall be the District level Nodal Agency for the purpose of this Ordinance.

**4. Powers and functions of nodal agencies.-** (1) Subject to the superintendence, direction and control of the Government, the powers and functions of the nodal agencies shall be as follows: -

(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and

(b) to maintain the record of Declaration of intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Ordinance.

(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agencies as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Ordinance.

**5. Filing of Declaration.-** (1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the State level nodal agency a declaration of intent to start an enterprise in such form and in such manner as may be prescribed.

**Explanation.-** Any person who has moved the Competent Authority to so obtain all or any of the approvals as defined in clause (b) of section 2 before the commencement of this Ordinance may also opt to furnish declaration of intent to start an enterprise under this sub-section.

(2) On receipt of a declaration completed in all respects, the State level nodal agency shall, forthwith, issue an

Acknowledgment Certificate, in the prescribed form, to the person who furnished the declaration under sub-section (1).

**6. Effect of the Acknowledgement Certificate.-** (1) An Acknowledgment Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in clause (b) of section 2, for a period of three years from the date of its issuance and after the expiry of the said period of three years, the enterprise shall have to obtain required approvals as defined in clause (b) of section 2 within six months from the date of such expiry:

Provided that the acknowledgement certificate shall not entitle a person to use a land in deviation to the land use specified in the master plan wherever such plan is in force. It shall also not entitle a person to use the land falling in restricted category namely pasture land, water body, etc. as specified in section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955).

(2) During the period of three years specified in sub-section (1), no competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as defined in clause (b) of section 2.

**7. Exemption. -** Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprises from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act, the Government or, as the case may be, any such authority shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issue of the Acknowledgement Certificate under section 5.

**8. Protection of action taken in good faith. -** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or Nodal Agency or Competent Authority or any employee of the Government, Nodal Agency or Competent Authority for anything which, in good faith, is done or intended to be done under this Ordinance or any rules made thereunder.

**9. Ordinance to override other laws.-** (1) The provisions of this Ordinance shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan law, for the time being in force.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this ordinance, such provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the following enactments and the provisions of these enactments shall be read as amended in conformity with the provisions of this ordinance, namely:-

- (a) Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955);
- (b) Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);
- (c) Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959);
- (d) Rajasthan Gramdan Act, 1971 (Act No. 12 of 1971);
- (e) Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982);
- (f) Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
- (g) Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (h) Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009); and
- (i) Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013).

**10. Savings.-** Subject to the provisions of section 7, nothing in this Ordinance shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent expressly provided in this Ordinance.

**11. Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

**12. Power to make rules.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Ordinance.

(2) All rules made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Kalyan Singh,

**Governor of Rajasthan**

महावीर प्रसाद शर्मा,

**Principal Secretary to the Government.**